

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या - 1413/2014/अलवर.

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
वार्ड-द्वितीय, वृत्त-बी, भिवाड़ी.

.....अपीलार्थी.

बनाम

मैसर्स निर्मल ओवरसीज लिमिटेड, भिवाड़ी (अलवर).

.....प्रत्यर्थी.

खण्डपीठ

श्री के. एल. जैन, सदस्य

श्री मदन लाल मालवीय, सदस्य

उपस्थित : :

श्री आर. के. अजमेरा,
उप-राजकीय अभिभाषक

.....अपीलार्थी की ओर से.

प्रत्यर्थी बावजूद सूचना अनुपस्थित

निर्णय दिनांक : 05/09/2017

निर्णय

1. यह अपील अपीलार्थी राजस्व द्वारा अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर, अलवर (जिसे आगे 'अपीलीय अधिकारी' कहा जायेगा) के अपील संख्या 52/116/RST/2008-09/13-14/उपा/अपील्स/अलवर में पारित किये गये आदेश दिनांक 24.01.2014 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेश से वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त-भिवाड़ी (जिसे आगे 'कर निर्धारण अधिकारी' कहा जायेगा) के द्वारा राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1994 की धारा 30/37 के तहत कर निर्धारण वर्ष 1998-99 के लिये पारित किये गये आदेश दिनांक 21.08.2002 के विरुद्ध अपील को स्वीकार किया है।
2. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।
3. प्रकरण में प्रत्यर्थी व्यवहारी के वर्ष 1998-99 के कर निर्धारण आदेश दिनांक 16.12.2000 को रीओपन करते हुए पुनः कर निर्धारण किया गया है जिसमें महालेखाकार द्वारा एक्सार्जिज विभाग की ऑडिट के दौरान किये गये आक्षेप के आधार पर वाणिज्यिक कर विभाग को प्राप्त सूचना को आधार बनाते हुए केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की चोरी की राशि पर करारोपण किया गया। प्रकरण में कर निर्धारण आदेश दिनांक 21.08.2012 में यह स्पष्ट अंकित किया गया है कि केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विभाग द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी पर उत्पाद शुल्क का आरोपण किया गया है अतः इस आधार पर उस राशि को बिक्री का भाग मानकर उस राशि पर कर, ब्याज एवं शास्ति का आरोपण किया गया है जबकि

लगातार.....2

व्यवहारी को न तो किसी भी तरह के दस्तावेज दिये गये एवं न ही कर निर्धारण अधिकारी द्वारा कोई जांच की गई। इस सम्बन्ध में यह भी उल्लेखनीय है कि उत्पाद शुल्क की राशि के जमा करवाने या नहीं करवाने से बिक्री कर अधिनियम में बिक्री राशि पर कोई प्रभाव नहीं हो सकता क्योंकि अधिनियम 1994 के तहत कर का दायित्व विक्रय मूल्य पर निर्धारित किया जाता है जबकि इन प्रकरणों में उत्पाद शुल्क कम जमा कराने के बावजूद भी बिक्री मूल्य में कमी होने का कोई बिन्दु प्रश्नगत नहीं था।

4. यह उल्लेखनीय है कि उत्पाद शुल्क की चोरी करना मान भी लिया जावे तब भी अधिनियम, 1994 के तहत कर का दायित्व विक्रय मूल्य पर होने से उसे एक्साईज विभाग के आक्षेप के आधार पर नहीं बढ़ाया जा सकता। इस सम्बन्ध में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा भी ऐसास किसी भी तरह का उल्लेख नहीं किया गया है कि जो कर निर्धारण आदेश पूर्व में पारित किया गया था उसमें दर्शाया गया बिक्री मूल्य कम होना प्रमाणित होता है। इस सम्बन्ध में अपीलीय अधिकारी द्वारा किया गया निर्णय पूर्णतया विधिसम्मत है एवं माननीय राजस्थान कर बोर्ड के निर्णय सहायक आयुक्त, चित्तौड़गढ़ बनाम श्रीराम स्टोन एण्ड मार्बल्स (2009) टैक्स अपडेट 131 में भी माननीय राजस्थान कर बोर्ड द्वारा यह अवधारित किया गया है कि केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विभाग की जांच के आधार पर सृजित मांग अविधिक है। अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित विस्तृत आदेश में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विभाग द्वारा व्यवसायी के विरुद्ध कोई अभियोग बनाने की सूचना नहीं होना एवं व्यवसायी द्वारा अभियोग से सम्बन्धित दस्तावेज मांगे जाने पर सक्षम अधिकारी द्वारा वांछित दस्तावेज उपलब्ध कराये बिना ही विक्रय कर की चोरी प्रमाणित माना जाना अविधिक बताया है वह पूर्णतया उचित है। अतः अपीलीय अधिकारी द्वारा अपने निर्णय में सक्षम अधिकारी द्वारा बिना कोई स्वतंत्र जांच किये "विक्रय कर" की चोरी मानकर पारित आदेश को अपास्त करने में कोई भूल नहीं की है।

5. फलतः अपीलार्थी राजस्व की अपील अस्वीकार की जाती है।

6. निर्णय सुनाया गया।

(मदन लाल मालवीय)
सदस्य

(के. एल. जैन)
सदस्य